ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. NO.- 269-275**

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

दहेज उत्पीड़न हेतु उत्तरदायी कारक तथा उत्पीड़न के तौर तरीके

डॉ0 मधु यादव

आदर्श कृष्ण महाविद्यालय, शिकोहाबाद (उ0प्र0) भारत

Received-07.09.2022, Revised-14.09.2022, Accepted-19.09.2022 E-mail: : aaryvart2013@gmail.com

सारांशः – ***प्रस्तुत अध्याय "दहेज उत्पीड़न हेतु उत्तरदायी कारकों तथा उत्पीड़न के तौर तरीकों" पर आधारित है। निःसन्देह, प्रत्येक समस्या कुछ विशेष कारणों तथा विशम परिस्थिति से ही उत्पन्न होती है। अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक समस्या के पीछे कुछ कारक उत्तरदायी होते हैं जिसमें कुछ उत्तरदायी कारक निजी कारणों से जनित होती है। समाज में दहेज हत्याएं हो रही हैं, जिसके पीछे 'दहेज उत्पीड़न' परोक्षतः छिपा है; अर्थात् दहेज उत्पीड़न की पराकाष्ठा व परिण्ति 'दहेज हत्या' है। श्रीवास्तव' (1991) ने लिखा है कि "दहेज सम्बन्धी हत्याएं; दहेज–उत्पीड़न का चरमोत्कर्ष महिलाओं एव 'दहेज उत्पीड़न के सन्दर्भ में प्रोमिला कपूर" (1989) ने भी लिखा है कि "आज समाज में दहेज एक सामाजिक व्याधि तथा अभिशाप बनकर रह गया है। दहेज की माँगें पूरी कराने हेतु किए जाने वाला नव बधुओं का उत्पीड़न उन्हें आत्महत्या कर लेने को विवश कर देता है, और किन्हीं परिस्थितियों में उन्हें जलाकार मार ही डालते हैं जबकि यदि गहन चिन्तन किया जाये तो दहेज के लेने देन मे युवतियों का दोष ही क्या है? न वे कुछ लेती हैं, न कुछ देती हैं अपितु उन्हें तो एक माध्यम रूप में भाँति–भाँति से वेबजह उत्पीड़ित किया जाता है।" सरफि (2010) ने लिखा है कि दहेज उत्पीड़ित महिलाएं परिवार में रहते हुए नारकीय जीवन जीने के लिए विवष होती हैं क्योंकि घुट–घुट कर जीने के अलावा उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है।***

कुंजीभूत शब्द– दहेज उत्पीड़न,उत्तरदायी कारकों, विशम परिस्थिति, हत्याएं, पराकाष्ठा व परिण्ति, चरमोत्कर्ष महिलाओं।

"एक दहेज उत्पीड़ित नारी ने वेदना व्यक्त करते हुए बताया कि नारी का जीवन तो ससुराल में कटता है; चाहे कैसे ही कटे; मायके में माता–पिता के सहारे किसी का जीवन नहीं कटता।" लता[4] (2011) की मान्यता है कि 'विवाहित महिलाएं' अपने परिवार की ही चारदीवारी में विवाहोपरान्त भाँति–भाँति की अवमाननाओं, यातनाओं, तानों, शोषण व उत्पीड़न की जिन्दगी बसर करती हैं; हद तो तब हो जाती है जब उन पर उनका पति व अन्य परिजन ही दहेज लाने के लिए उसके ऊपर जुल्म ढाकर विवश करते हैं। यहाँ तक कि उसे कुछ विशिष्ट अवसरों पर छींटाकशी कर अपमानित किया जाता है। उसको अपनों ही के द्वारा यातनाएं देते हुए उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यहाँ तक कि दहेज की हबिस पूरी न कर पाने की दशाओं में उसे 'दहेज की बलिवेदी' पर चढ़ा दिया जाता है। उप्रेती[5] (2013) ने अपने अध्ययन में लिखा है कि दहेज उत्पीड़ित नारियाँ निरन्तर अत्याचार व जुल्म सहती रहती हैं वे न मायके में षिकायत करती हैं; न पुलिस में। जबकि उत्तरोत्तर बढ़ते दहेज तथा दहेज उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए षासन ने 'दहेज निषिद्ध अधिनियम' तथा (संशोधित) अधिनियम क्रियान्वित कर रखे हैं जिनमें दोषियों हेतु 'कठोर दण्ड' के प्रावधान हैं।

अनुसंधित्सु ने अपने सभी 300 दहेज हत्याओं के निदर्शितों से पृथकतः साक्षात्कार करके दहेज उत्पीड़न हेतु सामान्य उत्तरदायी कारकों को जानने का प्रयास किया है। प्राप्त जानकारी पर अग्राँकित तालिका नं. 5(1) संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

तालिका नं 1: निदर्शितों के अनुसार 'दहेज उत्पीड़न हेतु सामान्य उत्तरदायी कारक'

क्र.सं.	दहेज उत्पीड़न हेतु उत्तरदायी कारक	निदर्शितों का अनुक्रमिक प्राथमिकताक्रम			योग
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	300 (100.00)
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	300 (100.00)
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	300 (100.00)
4.	[illegible]	300 (100.00)	– (00.00)	– (00.00)	300 (100.00)
5.	[illegible]	297 (99.00)	– (00.00)	03 (01.00)	300 (100.00)
6.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	300 (100.00)
7.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	300 (100.00)
8.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	300 (100.00)
9.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	300 (100.00)
10.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	300 (100.00)
11.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	300 (100.00)

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

प्रस्तुत प्रसंगाधीन तालिका नं. 1 में प्रदर्शित प्रदत्त प्रथम वरीयताओं को ही शोधार्थिनी ने दहेज की कुप्रथा के चलन एवं दहेज उत्पीड़न हेतु उत्तरदायी कारक स्वीकार किया है। निष्कर्ष स्थापित करने के लिए न्यून आवृत्तियों व प्रतिशत के कारण द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वरीयतायें उपेक्षणीय मान ली गयी हैं। एक विहंगम दृष्टि में उत्तरोत्तर बढ़ रहे दहेज तथा दहेज उत्पीड़न हेतु मुख्य कारणों के अन्तर्गत जीवन साथी के चयन का क्षेत्र सीमित होना, वर के चयन में कन्या की राय न लेना, धनी परिवार में लड़की देने की मानसिकता व आकाँक्षा, सुषिक्षित तथा रोजगार वरों की कमी, षिक्षा तथा रोजगार उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ महत्व, भौतिकवादिता में वृद्धि, औद्योगिकीरण तथा नगरीकरण का समाज पर प्रभाव तथा आधुनिक शिक्षा का महंगा होना है। कुल 300 सर्वेक्षितों में से 70 प्रतिशत निदर्शितों का मत है कि दहेज, परम्परागत तथा समाज स्वीकृत है लेकिन कुछ लोग परम्परा से हटकर आधुनिक बनने की होड़ में लगे हैं और नव विवाहितों को प्रताड़ित, वाध्य तथा विवश करके शोषण तथा उत्पीड़न की मानसिकता पनपा रहे हैं। इन व्यावहारिक समस्याओं के निराकरण में वर्तमान सन्दर्भों में विधायी प्रावधान तथा किए जा रहे सरकारी प्रयास नाकाफी तथा निरर्थक सावित हो रहे हैं। यहाँ तक कि लोग, दहेज निषेध अधिनियमों में कठोर दण्ड का प्रावधान होते हुए भी उनका खुलकर उल्लंघन तथा दुरूपयोग कर धज्जियाँ उड़ा रहे हैं।

अध्ययन से प्राप्त प्राथमिक आँकड़ों के विश्लेषणों से स्पष्ट है कि 300 निदर्श दहेज हत्या के प्रकरणों से सम्बन्धित सूचनादाताओं के अनुसर दहेज की कुप्रथा तथा दहेज उत्पीड़न हेतु उत्तरदायी सामान्य कारकों के सम्बन्ध में 246(82 प्रतिशत) निदर्शितों ने जीवन साथी के चयन का क्षेत्र सीमित होना, 273(91 प्रतिशत) निदर्शितों ने विवाह की अनिवार्यता, 192(64 प्रतिशत) निदर्शितों ने प्रतिष्ठित एवं धनाड्य परिवार में बेटी देने की मानसिकता, लालसा तथा आकाँक्षाएं, 297(99 प्रतिशत) सूचनादाताओं ने रोजगार लड़कों का अभाव होना, शिक्षा तथा रोजगार का बढ़ता हुआ महत्व तथा वर्तमान समाज में धन के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा निर्धारित होना, 246(82 प्रतिशत) निदर्शितों ने समाज में जन जागरूकता का अभाव, 200(66.67 प्रतिशत) निदर्शितों ने शान से दहेज का झूठा प्रदर्शन करना, 237(79 प्रतिशत) निदर्शितों में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का प्रभाव होना, 261(87 प्रतिशत) निदर्शितों ने शिक्षा का महंगा होना, 210(70 प्रतिशत) निदर्शितों ने दहेज की मान्यता का परम्परागत एवं समाज स्वीकृत वर मूल्य होने को प्रथम वरीयताएं प्रदान की हैं। इन कारकों को निदर्शितों ने नव विवाहितों के दहेज उत्पीड़न हेतु उत्तरदायी सामान्य कारक स्वीकार किया है।

निम्न तालिका नं. 2 दहेज उत्पीड़न हेतु विशिष्ट उत्तरदायी कारकों तथा तौर तरीकों पर सभी 300 निदर्शितों के विचारों पर प्रकाश डालती है–

तालिका नं. 2: दहेज उत्पीड़न हेतु विशिष्ट उत्तरदायी कारक एवं तौर तरीके

क्रम	दहेज उत्पीड़न हेतु उत्तरदायी कारक एवं तौर तरीके	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	रूपयों की बार–बार माँग करना	45	15.00
2.	स्कूटर, टी.वी., फ्रिज आदि की माँग करना	60	20.00
3.	पत्नी को मायके ने भेजना/मायके से न बुलाना	75	25.00
4.	तानें कसना, अपमानित करना, दुर्व्यवहार करना, यातनाएं देना, उत्पीड़ित करना आदि	80	26.67
5.	मायके से कम दहेज लाने के लिए पति–पत्नी में अनबन रहना	10	03.33
6.	पति व परिजनों की भौतिकवादी विचारधाराएं	30	10.00
	योग	300	100.00

विशेष रूप से उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रत्येक निदर्शित ने एकाधिक कारकों को नव विवाहितों के दहेज उत्पीड़न हेतु विशिष्ट उत्तरदायी कारक माना है। अनुसंधित्सु ने यह भी जानने का प्रयास किया है कि "क्या समाज में 'दहेज ले तथा दहेज देने' के प्रति दोहरे मानदण्ड प्रचलित हैं ?" सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों पर निम्न तालिका नं. 3 संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

तालिका नं. 3 'दहेज लेने तथा दहेज देने के प्रति दोहरे मानदण्ड के प्रसंग में निदर्शितों के दृष्टिकोण/अभिमत

क्रम	क्या दहेज लेने तथा दहेज देने के प्रति दोहरे मानदण्ड हैं	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	'हाँ'	300	100.00
2.	'नहीं'	–	00.00
	योग	300	100.00

सर्वेक्षण अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण के प्रकाश में स्पष्ट है कि 'दहेज लेने तथा दहेज देने' के प्रति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज में दोहरे मानदण्ड प्रचलित हैं। यह जानकारी इसलिए प्राप्त की गयी ताकि यह स्पष्ट हो जाये कि दहेज उत्पीड़न के सम्बन्ध में भी वही मानदण्ड होंगे। अनुसंधित्सु ने पुनः सभी 300 निदर्शितों से पृथक–पृथक पूरक किया कि 'क्या दहेज उत्पीड़न तथा नव विवाहितों से दुर्व्यवहारों के प्रति भी समाज में दोहरे मानदण्ड अपनाए जाते हैं ?" इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्युत्तरों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

तालिका नं. 4: 'दहेज उत्पीड़न तथा दुर्व्यवहारों के प्रति दोहरे मानदण्ड अपनाने के सम्बन्ध में निदर्शितों के अभिमत

क्रम	'क्या समाज में आजकल दहेज उत्पीड़न तथा दुर्व्यवहारों के प्रति मानदण्ड अपनाए जाते हैं ?'	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	'हा'	300	100.00
2.	'नहीं'	–	00.00
	योग	300	100.00

प्रस्तुत तालिका नं. 4 के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण से सुस्पष्ट है कि दहेज उत्पीड़न तथा दुर्व्यवहार करने में समाज में आजकल दोहरे मानदण्ड अपनाए जाते हैं। यथाः जो तथा जैसा व्यवहार हम अपनी बेटी के साथ करते हैं, क्या वैसा ही व्यवहार हम अपनी नव विवाहिता बहू के साथ भी करते हैं शायद नहीं।

आगे की तालिका दहेज उत्पीड़न तथा किए जाने वाले व्यवहार के प्रति सास की बहू से अपेक्षाओं के बारे में सभी 300 निदर्श सूचनादाताओं के अभिमतों को व्यक्त करती है–

तालिका नं. 5: दहेज उत्पीड़न नव विवाहिता के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के प्रति सास की बहू से अपेक्षाओं के प्रति निदर्शितों के मत/दृष्टिकोण

क्रम	बहू तथा बेटी के प्रति सास द्वारा दोहरा मानदण्ड अपनाने के बारे में निदर्शितों के मत	सूचनादाताओं के अभिमत		योग
		पक्ष में	विपक्ष में	(प्रतिशत)
1.	एक सास का व्यवहार अपनी बेटी के प्रति कुछ और; तथा बहू के प्रति कुछ और, होता है	299 (99.67)	01 (00.33)	300 (100.00)
2.	एक सास अपनी बहू से जो अपेक्षाएं करती है; वही सास अपनी विवाहिता बेटी के प्रति कुछ और मानसिकता रखती है	297 (99.00)	03 (01.00)	300 (100.00)
3.	बहू खूब दहेज लेकर घर में प्रवेश करे किन्तु उसकी बेटी बेटी कम से कम दहेज ले कर विदा हो	300 (100.00)	– (100.00)	300 (100.00)

प्रस्तुत प्रसंगाधीन तालिका के प्राथमिक आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि लगभग शतप्रतिशत सूचनादाताओं ने यह स्वीकार किया है कि एक सास दोहरे मानदण्ड रखती है। अपनी बहू से जो अपेक्षायें रखती हैं, वही अपेक्षायें अपनी बेटी से नहीं रखती हैं। इस प्रकार महिलायें विशेषकर 'सास' दोहरे मापदण्ड रखती है या अपनाती हैं। इन तथ्यों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है–

(1) एक सास का व्यवहार, अपनी बेटी के प्रति कुछ और; तथा बहू के प्रति व्यवहार कुछ दूसरे प्रकार का होता है; जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से बहू के व्यवहार तथा स्वस्थ्य मानसिकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसका सरल और सहज व्यवहार दुरुह (जटिल) बन जाता है।

(2) एक सास जो अपेक्षाएं व आशाएं अपनी बहू से करती है वहीं सास अपनी बेटी से वही अपेक्षाएं क्यों नहीं करती ?

ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

प्रत्येक सास अपनी बहू को आदर्श बातें सुनाती है, नैतिकता के पाठ सिखाती हैं; लेकिन अपनी बेटी को नहीं अर्थात् दोहरे मानदण्ड बहुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। साथ ही उनके द्वारा किये जाने वाले व्यवहारों से उनकी हत्या कर दी जाती है।

(3) प्रायः सासों में यह मानसिकता पायी जाती है कि उनकी बहू खूब धन दौलत अर्थात् दहेज लेकर घर में प्रवेश करे, अपनी सुविधा के चौका चूल्हे के सामान भी अपने साथ लाये; लेकिन अपनी बेटी को उसी सास द्वारा कुछ न देना पड़े अथवा कम से कम सामान व दहेज लेकर जाये; यह दोहरा मानदण्ड भी दहेज उत्पीड़न दुर्व्यवहार करने को प्रोत्साहित करता है।

अनुसंधित्सु ने सभी 300 निदर्षितों से दहेज उत्पीड़न तथा प्रताड़ित करने में अपनाये जाने वाले तौर तरीकों व साधनों की जानकारी प्राप्त करने का भी प्रयास किया है। कुछ सूचनादाताओं ने बड़े स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि बहुओं को यातनाएं दी जाती हैं, प्रताड़ित किया जाता है और भाँति–भाँति के साधनों और तौर तरीकों से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। सभी 300 निदर्शितों से उक्त सन्दर्भ में प्राप्त तथ्यों पर निम्न तालिका नं. 6 दहेज उत्पीड़न हेतु नवविवाहिताओं को प्रताड़ित तथा उत्पीड़ित करने में अपनाए जाने वाले विभिन्न साधनों (तौर तरीकों) के सम्बन्ध में निदर्शितों के अभिमतों के वितरण पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

तालिका नं. 6: दहेज हत्या से पूर्व दहेज–उत्पीड़न तथा प्रताड़ित करने में अपनाये जाने वाले साधन

क्रम	दहेज उत्पीड़न तथा प्रताड़ित करने के साधन	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	मारपीट, गाली–गलौज करना, भला–बुरा कहना तथा ताने कसकर खूब अपमानित करना	60	20.00
2.	समय से खाना न देना तथा भूखों रखना	51	17.00
3.	भाँति–भाँति की पीड़ादायक यातनायें देना	90	30.00
4.	उसके दुर्व्यवहार करना तथा प्रताड़ित करना	75	25.00
5.	मायके पहुँच जाने पर, बहू को न बुलाना और न मायके जाने देना	12	04.00
6.	विवाह में दहेज कम लाने के कारण नाराजगीवश बहू को मायके न भेजना आदि	12	04.00
	योग	300	100.00

(नोट– यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सभी निदर्शितों ने दहेज उत्पीड़न तथा प्रताड़ित करने के लिए एकाधिक अपनाए जाने वाले तौर तरीकों को स्वीकार किया है)

प्रसंगाधीन प्रस्तुत तालिका नं. 6 के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेशण से स्पष्ट है कि नवविवाहिताओं को ससुराल वाले उन्हें भाँति–भाँति से प्रताड़ित करते हैं, यातनायें देते हैं अपमानित करते हैं ताकि वे विवश होकर दहेज की चीजें लाने को मजबूर हों, जैसे प्रताड़ना के रूप में: मारपीट, गाली–गलौज करना, उनसे भला बुरा कहना, तानाकशी करना, खूब अपमानित करना, भूखों रखना, समय से खाना न देना, भाँति–भाँति की पीड़ादायक यातनाएं देना, दुर्व्यवहार करना, प्रताड़ित करना, मायके पहुँच जाने पर मायके से न बुलाना, बहू को नाराजगी के कारण मायके न भेजना आदि तौर तरीके अपनाना प्रमुख रूप से स्वीकार किए हैं।

अग्राँकित तालिका नं 7 आगरा मण्डल के जनपदों के सापेक्ष दहेज उत्पीड़न तथा प्रताड़ित करने में अपनाएं गए साधनों/तौर तरीकों के वितरण पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

तालिका नं 7: जनपदों के सापेक्ष दहेज उत्पीडन तथा प्रताड़ित करने में अपनाएं गए तौर तरीकों (साधनों) का वितरण

दहेज उत्पीड़न व प्रताड़ित करने के तौर तरीके (साधन)	अलीगढ़	आगरा	एटा	फिरोजाबाद	मथुरा	मैनपुरी	हाथरस	योग (प्रतिशत)
मारपीट, गाली गलौज करना, भला बुरा कहना आदि, खूब अपमानित करना	04 (01.34)	09 (03.00)	10 (03.33)	10 (03.33)	19 (06.33)	05 (01.67)	03 (01.00)	60 (20.00)
समय से खाना न देना, भूखों रखना	07 (02.33)	06 (02.00)	12 (04.00)	07 (02.34)	10 (03.333)	04 (01.34)	05 (01.67)	51 (17.00)
भाँति–भाँति की पीड़ादायक यातनाएं देना	10 (03.33)	06 (02.00)	12 (04.00)	07 (02.34)	10 (03.33)	04 (01.34)	05 (01.67)	51 (17.00)
दुर्व्यवहार द्वारा प्रताड़ित करना	07 (02.33)	11 (03.67)	10 (03.33)	24 (08.00)	10 (03.33)	07 (02.34)	06 (02.00)	75 (25.00)
मायके पहुँच जाने पर, बहू को न बुलाना	02 (00.67)	04 (01.33)	06 (02.00)	– (00.00)	– (00.00)	– (00.00)	– (00.00)	12 (04.00)
दहेज कम लाने के कारण नाराजगीवश बहू को मायके न भेजना	03 (01.00)	05 (01.66)	– (00.00)	02 (00.67)	– (00.00)	02 (00.67)	– (00.00)	12 (04.00)
योग	33	60	45	54	51	33	24	300
प्रतिशत	(11.00)	(20.00)	(15.00)	(18.00)	(17.00)	(11.00)	(08.00)	(100.00)

ASVP PIF-9.005 /ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14

ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

प्रस्तुत तालिका नं. 7 के प्राथमिक तथ्यों कें विश्लेशण से स्पश्ट है कि दहेज उत्पीड़न व प्रताड़ित करने के आधार पर 300 निदर्शित प्रकरणों में से 60(20 प्रतिशत) प्रकरण मारपीट, गाली गलौज, भला बुरा कहने अर्थात् अपमानित करने, 51(17 प्रतिशत) प्रकरण समय से खाना न देना/भूखों रखने, 90(30 प्रतिशत) प्रकरण भाँति–भाँति से पीड़ादायक यातनाएं देने, 75(25 प्रतिशत) प्रकरण दुर्व्यवहारों द्वारा प्रताड़ित करने, 12(4 प्रतिशत) प्रकरण दहेज कम लाने के कारण नाराजगीवश बहू को मायके व भेजने आदि के पाए गए हैं। जनपद सापेक्ष अलीगढ़, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी तथा हाथरस जनपदों में क्रमशः 1. 34 प्रतिशत, 3 प्रतिशत, 3.33 प्रतिशत, 6.33 प्रतिशत, 1.67 प्रतिशत, 1 प्रतिशत प्रकरण मारपीट गाली गलौज, बुराभला कहना अर्थात् खूब अपमानित करने से सम्बन्धित, 2.33 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 4 प्रतिशत, 2.34 प्रतिशत, 3.33 प्रतिशत, 1.33 प्रतिशत, 1.67 प्रतिशत, प्रकरण समय से खाना न देना, भूखों रखना से सम्बन्धित, 3.33 प्रतिशत, 8.34 प्रतिशत, 2.33 प्रतिशत, 3.67 प्रतिशत, 4 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 3.33 प्रतिशत प्रकरण भाँति–भाँति की पीड़ादायक यातनाएं देना, 2.33 प्रतिशत, 3.67 प्रतिशत, 3.33 प्रतिशत, 8 प्रतिशत, 3.33 प्रतिशत, 2.34 प्रतिशत, 2 प्रतिशत प्रकरण दुर्व्यवहारों द्वारा प्रताड़ित करने, 0.67 प्रतिशत, 1.33 प्रतिशत, 2 प्रतिशत प्रकरण मायके पहुँच जाने पर मायके से फिर न बुलाने, (मानसिक उत्पीड़न) और 1 प्रतिशत, 1.66 प्रतिशत, 0.67 प्रतिशत, 0 प्रतिशत, 0.67 प्रतिशत तथा 0 प्रतिशत प्रकरण दहेज कम लाने के कारण नाराजगीवश बहू को मायके न भेजने के पाए गए हैं। तालिका से यह भी ज्ञात होता है कि (1) मारपीट, गाली गलौज, भला बुरा कहना तथा अपमानित करने के सबसे अधिक प्रकरण 6.33 प्रतिशत मथुरा जनपद में तथा सबसे कम प्रकरण 1 प्रतिशत हाथरस जनपद के हैं, (2) समय से खाना न देने/भूखा रखने के सबसे अधिक प्रकरण 4 प्रतिशत एटा जनपद तथा सबसे कम 1.33 प्रतिशत प्रकरण मैनपुरी जनपद के हैं, (3) भाँति–भाँति की पीड़ादायक यातना देने सम्बन्धी प्रकरण सबसे अधिक 8.34 प्रतिशत आगरा जनपद तथा सबसे कम प्रकरण 3.33 प्रतिशत क्रमशः अलीगढ़ व हाथरस जनपदों में हैं, (4) दुर्व्यवहारों द्वारा प्रताड़ित करने सम्बन्धी सबसे अधिक प्रकरण 8 प्रतिशत जनपद फिरोजाबाद तथा सबसे कम प्रकरण 2 प्रतिशत हाथरस जनपद में हैं, (5) मायके पहुँचने पर मायके से बहू को न बुलाने सम्बन्धी सबसे अधिक प्रकरण 2 प्रतिशत एटा जनपद में तथा सबसे कम प्रकरण 0.67 प्रतिशत अलीगढ़ जनपद में पाए गए हैं तथा (6) दहेज कम लाने की बजह से नाराजगीवश बहू को मायके न भेजने सम्बन्धी सबसे अधिक 1.66 प्रतिशत आगरा जनपद में तथा सबसे कम 0.67 प्रतिशत – 0.67 प्रतिशत प्रकरण फीरोजाबाद व मैनपुरी जनपदों में पाए गए हैं।

दहेज निशेध अधिनियमों की जानकारी :

उल्लेखनीय है कि दहेज निशेध अधिनियम 1961 तथा दहेज निशेध (संशोधित) अधिनियम 1986 प्रभावी होने के बावजूद भी दहेज लेने देने का चलन संक्रामक रोग की तरह उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, चाहे लेन–देन गोपनीय (गुपचुप) तरीकों से हो रहे हैं। अनुसंधित्सु ने सभी 300 निदर्शितों से किया कि 'क्या आपको दहेज निशेध अधिनियमों की जानकारी है?' प्राप्त प्रत्युत्तरों पर निम्न तालिका संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

तालिका नं. 8: 'क्या आपको दहेज निषेध अधिनियमों की जानकारी है?'

क्रम	निदर्शितों के प्रत्युत्तर	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	'हाँ'	31	10.33
2.	'नहीं'	111	37.00
3.	उदासीन	158	52.67
	योग	300	100.00

प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण से सुस्पश्ट है कि कुल 300 निदर्शितों में से दहेज निषेध अधिनियमों की जानकारी मात्र 31(10.33 प्रतिशत) निदर्शितों को ही है जबकि 111(37 प्रतिशत) निदर्शितों को दहेज निषेध अधिनियमों की जानकारी नहीं है और सर्वाधिक 158(52.67 प्रतिशत) निदर्शितों ने जानकारी के सम्बन्ध में अपने उदासीन अभिमत प्रकट किए हैं। साथ ही इन उदासीन अभिमत प्रकट करने वाले निदर्शितों ने यह भी स्पष्ट किया है दहेज निषेध अधिनियमों की उन्हें कुछ–कुछ जानकारी है, पूर्णतः जानकारी है। निष्कर्षतः दहेज निषेध अधिनियमों की जानकारी का जन साधारण में आज भी अभाव है। वे नहीं जानते कि दहेज निषेध अधिनियमों का सहारा कब और किन परिस्थितियों में लिया जाये। आम आदमी कन्या के उत्पीड़न की पराकाष्ठा हो जाने अथवा दहेज की बलिवेदी पर भेंट चढ़ा दिए जाने पर 'दहेज निषेध कानून' का सहारा लेता है। तब यह कहावत चरितार्थ होती है: 'अब पछिताए होत क्या, जब चिड़ियाँ चुग गयीं खेत'।

जन साधारण मे ंदहेज निषेध अधिनियमों की जानकारी न होना; यह दर्शाता है कि जनता में जागरूकता का नितान्त

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

अभाव है।

अनुसंधित्सु ने 'दहेज निषेध अधिनियमों की प्रभावशीलता/प्रभावकारिता के सम्बन्ध में भी सभी 300 निदर्शितों से जानकारी हासिल की है; प्राप्त तथ्यों पर निम्न तालिका नं. 9 संक्षिप्त प्रकाश डालती है–

तालिका नं. 9: 'दहेज निशेध अधिनियमों की प्रभावकारिता के सम्बन्ध में निदर्शितों के अभिमत

क्रम	दहेज निषेध अधिनियमों की प्रभावकारिता के प्रति अभिमत	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	नितान्त निष्प्रभावी	107	35.67
2.	सार्थक एवं प्रभावी	30	10.00
3.	उदासीन	158	52.67
4.	'कह नहीं सकते'	05	01.66
	योग	300	100.00

प्रस्तुत तालिका 5(9) के प्रारम्भिक तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन किए गए कुल 300 निदर्शितों में से 107(35.67 प्रतिशत) निदर्शितों की मान्यता है कि दहेज निषेध अधिनियम नितान्त निष्प्रभावी सिद्ध हो चुके हैं जबकि मात्र 30(10 प्रतिशत) निदर्शितों का मानना है कि दहेज निषेध अधिनियम अब भी सार्थक व प्रभावी सिद्ध है; उदासीन अभिमत दर्शाने वाले 158(52.67 प्रतिशत) निदर्शित पाए गए हैं तथा मात्र 5(1.66 प्रतिशत) निदर्शित ऐसे भी पाए गए हैं, जो दहेज निषेध अधिनियमों की प्रभावकारिता के सम्बन्ध में 'कुछ नहीं कह सकते'। दहेज निषेध अधिनियमों को निरर्थक तथा निष्प्रभावी बताने वाले 107 निदर्शितों से अनुसंधित्सु ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि दहेज निषेध अधिनियम–

(1) दाम्पत्य सम्बन्धों में कटुता, आपसी अहम, वैयक्तिक तनाव तथा पारिवारिक विघटन जनित कर रहे हैं,

(2) वर तथा बधू दोनों पक्षों के मध्य विवाहह सम्बन्धी विषैले विवाद पैदा कर रहे हैं,

(3) लोग दहेज निषेध अधिनियमों का दुरूपयोग कर 'फर्जी केस' बनाते हैं, इससे न्यायालयों में केसों के निस्तारण की बजाय 'केसों' की संख्या निरन्तर बढ़ रही है,

(4) कन्या पक्ष के लोग तथा शिक्षित बधुएं, अपने पति व उनके परिजनों पर दबाव बनाने तथा दहेज उत्पीड़न में फंसाने के लिए 'दहेज निषेध अधिनियम' के तहत झूठे/फरेब मुकद्दमें दर्ज कराते हैं ताकि प्रतिपक्ष उनकी लड़की से आजीवन दबकर रहें और उनकी बेटी ससुराली परिवार पर निरंकुष शासन करे। सम्प्रति; लड़कियों की मानसिकताएं भी बिगड़ रही हैं और दहेज उत्पीड़न सम्बन्धी विवाद भी कुछ अंशों में उनकी भी देन हैं।

अनुसंधित्सु की मान्यता है कि सरकार तथा विधिवेत्ता भी यह स्वीकार करते हैं कि कानून ही नहीं, प्रत्येक चीज में कुछ न कुछ दोष/सीमाएं होती हैं जिनकी बजह से उनमें (समाज परिवर्तन के साथ) वाँछित संशोधन किए जाते हैं। दहेज निषेध अधिनियमों की अप्रभावशीलता या कम प्रभावकारिता के कारण ही राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की संरक्षा व सुरक्षार्थ 'घरेलू हिंसा अधिनियमः 2015' क्रियान्वित/लागू किया गया है। उल्लेखनीय है कि अब महिला उत्पीड़न व शोषण सम्बन्धी समस्त प्रकरण 'घरेलू हिंसा कानून 2005' के अन्तर्गत पंजीकृत किए जाते हैं ताकि नारी के समस्त हितों का संरक्षण सम्भव हो सके। यह कानून महिलाओं की सभी तरह की समस्याओं हेतु 'रामवाण' सिद्ध हो रहा है क्योंकि कानूनी परामर्श से लेकर संरक्षा, सुरक्षा, वकील, पुलिस अभिरक्षा आदि न्यायालयीन निर्णय होने तक 'सब कुछ निःशुल्क' परामर्श व सहायताएं प्रदान करता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. श्रीवास्तव राकेश (1991) दहेज उत्पीड़न–समस्या एवं समाधान, प्रकाशित लेख 'समाज कल्याण' पत्रिका, समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, जनवरी अंक, पृष्ठ 36–39
2. कपूर प्रोमिला (1989) हिंदु महिलाओं पर अत्याचार एवं कानूनी सहायता, 'समाज कल्याण' पत्रिका (प्रकाशित लेख), समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, पृष्ठ 17–19
3. Saraf Samarendra Vivekanand & Kaminal (2010) Hindu Marriage and Dowry, Kendra Magazine, New Delhi, August 2010, 23-27.

4. Lata Khatri (2011) Dowry and Educated Unmarried College Girls, Published Article 'Indian Journal of Social Work', Bombay, Anddheri West, Vol. 37(2), p.30-34.
5. उप्रेती रमाशंकर व जानकी प्रसाद (2013) दहेज उत्पीड़ित महिलाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययनः गाजियाबाद नगर के विशेष सन्दर्भ में, प्रकाशित शोध–प्रबन्ध, सरस्वती प्रकाशन, दिल्ली।
6. सिंह एस0डी0 एवं सिकरवार कविता (2014) 'घरेलू हिंसा अधिनियम–2005 तथा उसके प्रति प्रतिक्रियाएं' प्रकाशित शोधपत्र 'सामाजिक सहयोग' त्रैमासिक राष्ट्रीय शोध पत्रिका, श्रीकृष्ण शोध संस्थान,ऋषिनगर, उज्जैन (म0प्र0), वाल्यूम–49,जन0अंक 2014

*****